



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 2015/कार्तिक 18, 1937

No. 693]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 2015/ KARTIKA 18, 1937

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 846(ब).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजलापूर्ति विभाग, सलाहकार (ग्रुप 'क') भर्ती नियम, 2007, जहाँ तक वे सहायक सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) के पद से संबंधित हैं, ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर, का अतिक्रमण करते हुए भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में उप-सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, उप-सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क' पद भर्ती नियम, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनके पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 के अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य मुद्दे उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 के अनुसार होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति, जिसने-

- ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके जीवित पति/पत्नी हो, अथवा
- जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति तथा उस विवाह के दूसरे पक्ष के व्यक्ति के लिए लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, किसी व्यक्ति पर इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति- यदि केन्द्र सरकार का मत हो कि ऐसा करना आवश्यक है अथवा उचित, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश के माध्यम से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को इन नियमों के किसी प्रावधान से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व-सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य आवश्यक छूटों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान	चयन अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)	3*(2015) *कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तनशील	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसूचित	पे बैंड-3 15,600-39,100 रु. (ग्रेड पे 7600/- रुपये)	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट) नोट: भारत के उम्मीदवार से आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तिथि को आयु-सीमा के निर्धारण के लिए नियत तिथि माना जाएगा। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन आफ जम्मू एवं कश्मीर राज्य, लाहौल और स्पीती जिला तथा पांगी उप डिवीजन ऑफ चम्बा जिला ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि नहीं।)

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की संबंधित पद्धति और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: i. सिविल इंजीनियरी/ पर्यावरण इंजीनियरी/जन स्वास्थ्य इंजीनियरी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि. ii. विलवणीकरण डीप्लोरीडेशन, आयरन रिमूवल, वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर में अनुभव सहित ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के कम से कम 3 वर्ष के अनुभव के सहित जल आपूर्ति एवं सीवरेज	आयु - नहीं शैक्षिक योग्यताएं - हैं	सीधी भर्ती के लिए 1 वर्ष	पदोन्नति से 33.33%, इसमें असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्प अवधि अनुबंध (आईएसटीसी), शामिल हैं। 66.67% प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/समावेश द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>स्थापना की जांच, डिजाइन निर्माण एवं प्रचालन में 9 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>II) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी/पर्यावरणीय इंजीनियरी/लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <p>नोट:1: यदि उम्मीदवार अधिक योग्यता रखता है तो यूपीएससी के विवेकाधिकार से योग्यता में छूट दी जाएगी जिसका उसे लिखित में कारण बताना होगा।</p> <p>नोट 2: अनुभव से संबंधित योग्यता(ओं) में यूपीएससी के विवेक के आधार पर छूट दी जाएगी जिसका यूपीएससी को लिखित में कारण बताना होगा। यह छूट अ०जा०/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों को दी जाएगी, यदि चयन के किसी भी स्तर पर यूपीएससी यह मानती है कि इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन वर्गों से उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं है।</p>			
---	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है?	परिस्थिति जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए संपर्क किया जाना है
(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति</p> <p>सहायक सलाहकार(जन स्वास्थ्य इंजीनियरी) पे-बैंड-3/15600-39100/- रु. में तथा ग्रेड पे रु. 6600/- में 5 वर्ष की नियमित सेवा, और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>नोट: जहाँ कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी क्वालिफाइंग योग्यता सेवा पूरी कर ली हो, की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पदधारी पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे ऐसी क्वालिफाइंग/योग्यता सेवाओं की अपेक्षित क्वालिफाइंग/योग्यता से आधी से अधिक कम या दो वर्षों से कम न हो, जो भी कम हो और अपने कनिष्ठ जिन्होंने पहले ही ऐसी क्वालिफाइंग या योग्यता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड तक पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>नोट 2- पदोन्नति के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा की गणना करने के उद्देश्य से 01.01.2006 छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू करने की तिथि से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, कोरसपोंडिंग पे में की गई सेवा माना जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित बढ़ाए गए वेतनमान में की गई सेवा को माना जाएगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: अल्पअवधि अनुबंध/समावेश सहित/ केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/पीएसयू/ विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकाय अथवा संवैधानिक संस्था के अधीन अधिकारी</p>	<p>गुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति(पदोन्नति के लिए) जिसमें है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष। 2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय-सदस्य 3. संयुक्त सचिव-(पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय)- सदस्य 4. अपर सलाहकार(लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी)- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय - सदस्य <p>गुप 'क' विभागीय समिति(स्थायीकरण के लिए)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव(डीडब्ल्यूएस)-अध्यक्ष 2. अपर सलाहकार, डीडब्ल्यूएस -सदस्य 3. निदेशक, डीडब्ल्यूएस-सदस्य 	<p>यदि सीधी भर्ती या किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त (आई०एस०टी०सी०) पर नियुक्त किया जा रहा हो, तो संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श आवश्यक है</p>

<p>क) (i). वर्तमान कैडर/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद या</p> <p>(ii) वर्तमान कैडर/विभाग में पे बैंड-3, रु.15600-39100+ग्रेड पे रु. 6600/- अथवा समकक्ष पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में की गई 5 वर्ष की सेवा सहित और</p> <p>ख) कालम(7) में सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव होना चाहिए</p> <p>नोट: केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारी ही समावेश विलयन के लिए विचारणीय होंगे।</p> <p>नोट-2- फीडर कैडर में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे। (इस नियुक्ति के तुरंत बाद इसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संस्थान/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि(आईएसटीएसी) जिसमें किसी अन्य बाह्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि(आईएसटीसी) शामिल हो वह सामान्यतया चार वर्षों से अधिक न हो। (आईएसटीसी) जिसमें किसी अन्य बाह्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि(आईएसटीसी) शामिल हों वह सामान्यतया चार वर्षों से अधिक न हो।) प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)</p> <p>नोट-3: प्रतिनियुक्ति/समावेश आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए, 01.01.2006 तिथि जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, से पहले किसी भी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा बाद के ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा जिसे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया है इसमें समान ग्रेड पे/वेतनमान सहित एक ग्रेड में एक पूर्व संशोधित वेतनमान से अधिक का समावेश नहीं किया गया है और यह लाभ केवल उस पद(पदों) को दिया जाएगा जिसके लिए ग्रेड पे/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए -12022/3/2015-प्रशा.]

सत्यव्रत साहु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2015

G.S.R. 846(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water Supply, Advisers (Group A) Recruitment Rules, 2007 in so far as they relate to the post of Assistant Adviser (Public Health Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Adviser (Public Health Engineering) in the Ministry of Drinking Water and Sanitation, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Deputy Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. — The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, —

(i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Adviser (Public Health Engineering).	3*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs. 15,600-39,100 (Grade Pay Rs. 7600/-).	Selection	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree in Civil Engineering/Environmental Engineering/Public Health Engineering from a recognized University/ Institute.</p> <p>(ii) 9Years' experience in Investigation, Design Construction and Operation of Water Supply and Sewerage Installation Including at least three years in Rural or Urban Sector with experience in Desalination, Defluoridation, Iron Removal, Water Harvesting Structure.</p> <p>Desirable:</p> <p>(ii) Master's Degree in Civil Engineering/ Environmental Engineering/Public Health Engineering from a recognized University/ Institute.</p> <p>Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe if at any stage of selection, the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age: No</p> <p>Educational Qualifications: Yes</p>	<p>1 year for Direct Recruits</p>	<p>33.33 % by promotion failing which by deputation Including Short-Term Contract (ISTC). 66.67% by deputation (ISTC)/Absorption failing which by Direct Recruitment.</p>

In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption grades from which promotion/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Assistant Adviser (Public Health Engineering) in the Scale of Pay Band-3, Rs 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 6600/- with five years regular service in the Grade and has successfully completed mandatory training of 2 – 4 weeks in the relevant areas from the institute to be prescribed by the Administrative Ministry.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman/Member Union Public Service Commission –Chairman 2. Secretary, M/o Drinking Water & Sanitation – Member 3. Joint Secretary (M/o Drinking Water & Sanitation) – Member 4. Additional Adviser - (Public Health Engineering)- Ministry of Drinking Water and Sanitation – Member; 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making Direct Recruitment and appointing an officer on Deputation (ISTC) Absorption.</p>

<p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/ the date from which the Revised Pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation: (including short-term contract)/ Absorption :</p> <p>Officers under the Central Government/ State Governments/ UT Administration/PSU/ Universities/ Recognized Research Institutions/Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations.</p> <p>(A) (i) Holding analogous post on regular basis in the Parent cadre/Department ; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3, Rs. 15,600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600/- or equivalent in the Parent Cadre/ Department; and B) Possessing the Educational Qualification and Experience as prescribed for Direct Recruits under Col. (7).</p> <p>Note 1: Only Officers of Central/ State Government shall be eligible for consideration for absorption.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on Deputation/Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/ the date from which the Revised Pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one Pre-revised Scale of Pay into one Grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the Post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal Replacement Grade without any up gradation.</p>	<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary (DWS) – Chairman 2. Additional Adviser, DWS – Member 3. Director, DWS - Member 	
--	---	--

[F. No. A-12022/3/2015-Admin.]

SATYABRATA SAHU, Jt. Secy.